राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)(17)राछा/सान्याअवि/20/4873 जयपुर, दिनांक 12/2.2021

आदेश

शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 8.2.2021 से समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु नियमित शिक्षण की अनुमति तथा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित केजीबीवी विद्यालय/छात्रावासों, मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों एवं वैकल्पिक/ औपचारिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों (कक्षा 6 से 8) में शैक्षणिक गतिविधिया पुनः प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये है।

गृह (ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमांक प.33 (2)गृह–9/2019 दिनांक 06.01.2021 द्वारा शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारम्भ करने हेतु जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में प्रथम चरण में विभागीय छात्रावासे एवं आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वी से 12वी एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु विभागीय आदेश 3913 दिनांक 12.01.2021 द्वारा दिनांक 18.01.2021 से छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है।

अतः राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी कोरोना गाईड लाईन, दिशा–निर्देश एवं विभाग द्वारा जारी आदेश 3913 दिनांक 12.01.2021 अनुसार कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों को समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ7 1(2)(17)राछा/सान्याअवि/20/4874–4964 जयपुर, दिनांक 12.2.2021

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एस.के.), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर
5. जिला कलक्टर (समस्त) ....।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
7. अतिरिक्त निदेशक (राईस) मुख्यावास।
8. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
9. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को विभागीय वैब साईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
11. प्राचार्य, आवासीय विद्यालय (राईस) ....(समस्त)।
12. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।
13. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
14. आदेश पत्रावली।

12/01/2021

(अनुपम कायल)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति एवं छात्रावास)

E:\Letter.docx 379